कार्यालयः राँची नगर निगम

(बाजार शाखा)
कचहरी रोड, राँची, पिन नं०–834001
E-mail ID- support@ranchimunicipal.com

पत्रांक:–........1242................./ दिनांक:–25.06.2020

अल्पकालीन निविदा सूचना

स्थानीय बिरसा मुण्डा बस स्टैण्ड कांटा टोली रांची में निगम स्वामित्व की निर्मित्त 18 दुकानों में से शेष बचे 06 दुकानों को मासिक किराये पर आवंटन हेतु इच्छुक व्यक्तियों/प्रतिष्ठानों से प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते है। दुकान का आवंटन खुली डाक द्वारा किया जायेगा एवं उच्चतम बोली वाले को दुकान आवंटित की जायेगी। डाक की सुरक्षित राशि 32.34/–रू0 प्रति वर्गफीट प्रतिमाह (कर अतिरिक्त) एवं 2/–रू0 प्रति वर्गफीट सुविधा शुल्क निर्धारित है। जमानत की राशि के रूप में 20,000/–रू0 का बैंक ड्राफ्ट **नगर आयुक्त**, रांची नगर निगम के नाम से जमा करना होगा। निविदा आमंत्रण निम्न प्रकार से किया जाता है :–

दुकान संख्या	दुकान का क्षेत्रफल (वर्गफीट में)	निविदा प्राप्त करने की तिथि	निविदा निष्पदान की तिथि
01	432.22	दिनांक 10.07.2020 अपराहन् 2.00 बजे तक।	दिनांक 10.07.2020 अपराह्न 3.00 बजे।
06	248.92		
08	248.92		
09	248.92		
10	432.22		
15	158.04		

नोट – **पूर्व में निगम से लिये गये आवेदन पत्र मान्य होंगे एवं वैसे निविदादाता जिन्होने आवेदन पत्र नहीं लिया है वे दिनांक 01.07.2020 से 04.07.2020 तक किसी भी कार्य दिवस में निगम कार्यालय से आवेदन पत्र 500/–रू0 जमा कर प्राप्त कर सकते हैं।**

बन्दोबस्ती की नियम एवं शर्त्ते निगम वेबसाईट **www.ranchimunicipal.com** पर एवं कार्यालय नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित है। अधिक जानकारी के लिये किसी भी कार्य दिवस में रांची नगर निगम बाजार शाखा से सम्पर्क किया जा सकता है।

24.6.2020

उप नगर आयुक्त,
रांची नगर निगम, रांची।

Scanned with CamScanner

निविदा की शर्ते।

1 डाक की सुरक्षित राशि RCC दुकान के लिए 32.34/–रू0 (कर अतिरिक्त) प्रति वर्गफिट प्रतिमाह है।

2 आवेदन पत्र दिनांक 01.07.2020 से 04.07.2020 तक 500/–रू0 जमा कर किसी भी कार्य दिवस में बाजार शाखा से प्राप्त किया जा सकता है।

3 पूर्व में सफल निविदादाता को होने वाली निविदा से वंचित किया जाता है।

4 निर्धारित सुरक्षित जमा राशि से कम राशि वाले प्रस्ताव को खारिज किया जायेगा।

5 डाक में भाग लेने के वाले इच्छुक व्यक्ति को जमानत की राशि के रूप में 20,000/–रू0 का डिमाण्ड ड्राफ्ट, (नगर आयुक्त, रांची नगर निगम रांची के नाम से देय) जमा करना होगा। निविदादाता को निविदा निष्पादनोपरान्त जमानत की राशि वापस लौटा दी जायेगी।

6 सफल निविदादाता को जमानत कि राशि के रूप में 06 माह किराया का समतुल्य राशि जमा करना होगा। इस राशि में जमानत की राशि समायोजित की जायेगी।

7 निविदा प्रस्ताव में दुकान संख्या अंकित करना अनिवार्य होगा।

8 डाक राशि जमा नही करने पर जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी एवं पुर्न निविदा की जायेगी।

9 सफल निविदादाता को जमानत की राशि जमा करने के एक सप्ताह के अंदर एकरारनामा करना होगा। संपादित एकरारनामा का निबंधन बन्दोबस्तधारी को स्वयं के खर्च पर कराना होगा।

10 डाक के एक सप्ताह एकरारनामा नहीं करने की स्थिति में बन्दोबस्ती रद्द कर पुनः डाक किया जायेगा।

11 डाक वक्ता को पहचान के रूप में आवश्यक कागजात एवं चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

12 प्रत्येक माह के 07 तारिख तक अग्रिम मासिक किराया जमा करना होगा।

13 दुकान में जल एवं विद्युत व्यवस्था आवंटियों को स्वयं करनी होगी।

14 दुकान आवंटन रद्द किये जाने या दुकान छोड़ने की स्थिति में जमानत कि राशि वापस कर दी जायेगी।

15 किसी प्रकार की मरम्मत्ति या स्वरूप में बदलाव के पूर्व निगम से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

16 दुकान का स्वामित्व रांची नगर निगम का होगा एवं आवश्यकतानुसार निगम के पदाधिकारी एवं कर्मचारी निरिक्षण करने को स्वतंत्र होगे।

17 किसी भी समय बिना किसी सूचना के डाक रद्द करने का अधिकार नगर आयुक्त, रांची नगर निगम, रांची को सुरक्षित होगा।

18 दुकान की अवधि तीन वर्ष के लिए होगी।

19 किसी भी परिस्थिति में बन्दोबस्तीधारी के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति/फर्म को दुकान का आंवटन नही किया जायगा। यदि एंसा पाया गया है तो बन्दोबस्तीधारी के विरुद्ध झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 के तहत कार्रवाई किया जायेगा।

उप नगर आयुक्त,
रांची नगर निगम, रांची।

Scanned with CamScanner